भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *224

(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत गांवों से सड़क संपर्क

***224. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जोड़े गए गांवों का राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र के शिरडी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में स्थित गांवों को पहुंच सड़कों से जोड़ने के लिए राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र में कोई कार्य योजना तैयार की है अथवा ऐसा करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"पीएमजीएसवाई के तहत गांवों के लिए सड़क संपर्क" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 224 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): 'ग्रामीण सड़कें' राज्य का विषय है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को वर्ष 2000 में एकबारगी विशेष कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, ताकि ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में उत्थान करने के लिए कोर नेटवर्क में निर्दिष्ट आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण सड़क संपर्क प्रदान किया जा सके। इसके पश्चात, नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने और सड़कों का उन्नयन करने के लिए पीएमजीएसवाई के कार्यक्षेत्र में नए कार्यकलाप जैसे पीएमजीएसवाई-II, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए), पीएमजीएसवाई-III और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और पीएमजीएसवाई-IV जोड़े गए। पीएमजीएसवाई की इकाई एक बसावट है न कि गांव।

- पीएमजीएसवाई-I कार्यक्रम (2000-2025) के तहत, 1,62,774 बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान किया गया है और पीएमजीएसवाई-I की समय सीमा (छत्तीसगढ़ को छोड़कर) 31 मार्च, 2025 को समाप्त हो गई है। पीएमजीएसवाई-I के तहत सड़को से जुड़ी बसावटों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।
- पीएमजीएसवाई-II को चयनित थ्रू-रूटों और प्रमुख ग्रामीण सड़कों (एमआरएल) का उन्नयन करने के लिए शुरू किया गया था जिसका लक्ष्य विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 50,000 कि.मी. सड़क का उन्नयन करना था। पीएमजीएसवाई-II कार्यक्रम (2013-2025) के तहत 49,082 कि.मी. सड़कों का उन्नयन किया गया है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में 2618.91 कि.मी. सड़क लंबाई और 108 पुल स्वीकृत किए गए थे। इसमें से 108 पुलों सहित 2585.91 कि.मी. सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है।
- वर्ष 2013 में, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए, 100-249 की जनसंख्या श्रेणी में आनेवाली बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। इसके बाद, वर्ष 2016 में, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) को पीएमजीएसवाई के तहत अलग घटक के रूप में शुरू किया गया था। आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत स्वीकृत 12,092 कि.मी. सड़कों में से 9,763 कि.मी. सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में 619.68 कि.मी. सड़क और 112 पुल स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से अब तक 107 पुलों सहित 551.27 कि.मी. सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है।
- पीएमजीएसवाई-III कार्यक्रम (2019-2026) में बसावटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने वाले मौजूदा 1,25,000 कि.मी. थ्रू-रूटों और प्रमुख ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करके ग्रामीण सड़क

नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है। स्वीकृत 1,21,082 कि.मी. सड़क में से उपलब्धि लगभग 1,01,900 कि.मी. है। शेष सड़क कार्यों को वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र में इस योजना के तहत स्वीकृत सड़क लंबाई 6,409.03 कि.मी. है और पुलों की संख्या 213 है। इसमें से अब तक 12 पुलों सहित 4,820.95 कि.मी. सड़क लंबाई पूरी हो चुकी है।

- पीएम-जनमन के तहत (2024 के बाद से), 8,000 कि.मी. ग्रामीण सड़कों के कुल लक्ष्य में से, दिनांक 10.12.2025 तक 7,323.75 कि.मी. सड़क लंबाई (महाराष्ट्र में 50.14 कि.मी. लंबाई सहित) स्वीकृत की गई है, ताकि विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) की 2,909 बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान किया जा सके। स्वीकृत निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में जारी है। पीएम-जनमन के कार्यान्वयन की समय-सीमा मार्च 2028 तक है। पीएम-जनमन के तहत स्वीकृत लंबाई और बसावटों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।
- सरकार ने, सड़कों से नहीं जुड़ी 25,000 बसावटों को जो उनकी जनसंख्या में वृद्धि के कारण पात्र हो गई हैं उन्हें 62,500 किलोमीटर का सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए दिनांक 11 सितंबर 2024 को पीएमजीएसवाई-IV शुरू किया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+ आबादी वाली; पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (अनुसूची V आदिवासी क्षेत्र, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, मरूस्थलीय क्षेत्र) में 250+ आबादी वाली; और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 9 राज्य) में 100+ आबादी वाली सड़कों से नहीं जुड़ी बसावटों इस कार्यक्रम के जनसंख्या मानदंडों के अनुसार पीएमजीएसवाई-IV के तहत शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं। पीएमजीएसवाई-IV को पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों में समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दो लक्षित पहल के साथ समन्वय में लागू किया जा रहा है। जो निम्नानुसार हैं:

(i) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए): पीएमजीएसवाई-IV के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 500+ आबादी और 50% या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाली बसावटों, या आकांक्षी जिलों में 250+ श्रेणी में 50+ अनुसूचित जनजाति की आबादी वाली बसावटों को प्राथमिकता दी गई है।

(ii) प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय): पीएमजीएसवाई-IV के तहत 500+ की आबादी वाली और 40% या अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाली बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है।

- पीएमजीएसवाई-IV कार्यक्रम (2024-2029) के तहत, राज्यों ने ग्राम सड़क सर्वेक्षण एप्लिकेशन का उपयोग करके सर्वेक्षण किया है और सड़कों से नहीं जुड़ी बसावटों के

रूप में 40,547 बसावटों का ब्यौरा अपलोड किया है। यह ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

- महाराष्ट्र में, राज्य सरकार ने ग्राम सड़क सर्वेक्षण एप्लिकेशन का उपयोग करके 26 जिलों - अहिल्यानगर, औरंगाबाद, बीड, बुलढाणा, धुले, गढ़चिरोली, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नांदेड़, नांदुरबार, नासिक, उस्मानाबाद, परभणी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, ठाणे, वाशिम और पालघर में सर्वेक्षण के बाद 196 बसावटों को सड़कों से नहीं जुड़ी बसावटों के रूप में मैप किया है।
- चूंकि, पीएमजीएसवाई-IV के तहत पात्र बसावटों की प्रारंभिक पहचान राज्य सरकारों द्वारा पूरी कर ली गई है, अत: यह मंत्रालय दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और मंजूरी देने के लिए महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। पीएमजीएसवाई-IV के कार्यान्वयन की समय-सीमा मार्च 2029 तक है।
- इस मंत्रालय में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता। शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अहिल्यानगर जिले के भाग शामिल हैं। अहिल्यानगर जिले में पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के तहत इस योजना की शुरूआत से 1818 कि.मी. की सड़क लंबाई स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 1642 कि.मी. सड़क का निर्माण पूरा हो गया है और 125 कि.मी. सड़क निर्माणाधीन है। जिले में पीएमजीएसवाई के घटकों के तहत स्वीकृत और पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है। राज्य सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट दर्शाती है कि, महाराष्ट्र के शिरडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएमजीएसवाई-IV के दिशानिर्देशों के अनुसार सड़कों से नहीं जुड़ी कोई पात्र बसावट नहीं है।

****

अनुबंध-I

"पीएमजीएसवाई के तहत गांवों के लिए सड़क संपर्क" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 224 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत सड़कों से जोड़ी गई बसावटें का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सड़कों से जोड़ी गई कुल पात्र **बसावटें** (संख्या)
1	अंडमान और निकोबार	7
2	आंध्र प्रदेश	1,422
3	अरुणाचल प्रदेश	616
4	असम	13,719
5	बिहार	31,280
6	छत्तीसगढ़	10,621
8	गोवा	1
9	गुजरात	3,047
10	हरियाणा	1
11	हिमाचल प्रदेश	2,555
12	जम्मू और कश्मीर	2,132
13	झारखंड	10,953
14	कर्नाटक	295
15	केरल	402
16	मध्य प्रदेश	17,497
17	महाराष्ट्र	1,417
18	मणिपुर	622
19	मेघालय	586
20	मिजोरम	231
21	नागालैंड	107
22	ओडिशा	16,991
23	पंजाब	389
24	राजस्थान	15,970
25	सिक्किम	350
26	तमिलनाडु	1,985
27	त्रिपुरा	1,979
28	उत्तर प्रदेश	11,748
29	उत्तराखंड	1,860
30	पश्चिम बंगाल	13,224
31	तेलंगाना	703
32	लद्दाख	64
कुल		162,774

अनुबंध- II

"पीएमजीएसवाई के तहत गांवों के लिए सड़क संपर्क" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 224 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

दिनांक 10.12.25 तक पीएम जनमन के तहत स्वीकृत सड़क की लंबाई का ब्यौरा		
राज्य	**स्वीकृत लंबाई (कि.मी. में)**	**स्वीकृत बसावटें**
आंध्र प्रदेश	865.95	438
छत्तीसगढ़	2901.95	918
गुजरात	1.55	2
झारखंड	914.14	304
कर्नाटक	63.76	42
मध्य प्रदेश	1835.00	850
महाराष्ट्र	50.14	29
मणिपुर	35.00	8
ओडिशा	211.14	74
राजस्थान	98.69	38
तमिलनाडु	10.96	6
तेलंगाना	66.98	46
त्रिपुरा	268.49	154
कुल	**7323.75**	**2909**

अनुबंध-III

"पीएमजीएसवाई IV के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा सर्वेक्षण की गई संपर्क रहित बसावटों" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 224 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य सरकारों द्वारा पीएमजीएसवाई-IV के पात्रता मानदंडों के अनुसार जीएसएस एप्लिकेशन में सर्वेक्षण की गई बसावटें
1	आंध्र प्रदेश	413
2	अरुणाचल प्रदेश	194
3	असम	4670
4	बिहार	103
5	छत्तीसगढ़	2692
6	गुजरात	2443
7	हिमाचल प्रदेश	1021
8	जम्मू और कश्मीर	2262
9	झारखंड	2787
10	कर्नाटक	76
11	केरल	2335
12	लद्दाख	31
13	मध्य प्रदेश	9246
14	महाराष्ट्र	196
15	मणिपुर	303
16	मेघालय	377
17	मिजोरम	63
18	नागालैंड	224
19	ओडिशा	2679
20	पंजाब	1
21	राजस्थान	1740
22	सिक्किम	283
23	तमिलनाडु	5
24	तेलंगाना	173
25	त्रिपुरा	435
26	उत्तर प्रदेश	2174
27	उत्तराखंड	873
28	पश्चिम बंगाल	2748
	कुल	40547

अनुबंध- IV

"पीएमजीएसवाई के तहत गांवों के लिए सड़क संपर्क" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 224 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- IV

अहिल्यानगर जिले में स्वीकृत और पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

घटक	स्वीकृत			परियोजना का मूल्य (करोड़ में)	पूरे किए गए			व्यय (राज्य के अंश सहित) (करोड़ में)	शेष		
	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी.)	पुलों की संख्या		सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी.)	पुलों की संख्या		सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी.)	पुलों की संख्या
पीएमजीएसवाई-I	203	1270	15	376	202	1226	15	1	1	0	381
पीएमजीएसवाई-II	19	134	3	73	19	127	3	74	0	0	0
पीएमजीएसवाई-III	59	414	4	322	29	289	1	238	30	125	3
कुल	**281**	**1818**	**22**	**771**	**250**	**1642**	**19**	**313**	**31**	**125**	**384**

***